न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,मसूदा, जिला–अजमेर

राज.वाद संख्या 31 सन 2016

1 श्री बाबू पुत्र स्व0 श्री हरि उम्र 65 साल
2 श्री करीमा पुत्र स्व0 श्री हरि उम्र 55 साल
3 श्री छोटू पुत्र स्व0 श्री हरि उम्र 52 साल
समस्त जाति मेहरात निवासीयन ग्राम राजोर तहसील भीम जिला राजसमंद
4 श्री मति सकीना पुत्री स्व0 श्री हरि पत्नि श्री रहमान जी उम्र 45 साल जाति मेहरात निवासी ग्राम राजोर तहसील भीम जिला राजसंमद हाल निवासी ग्राम भवानीखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर(राज0)
5 श्री मति मदीना पुत्री स्व0 श्री हरि पत्नि श्री बाबू जी उम्र 40 साल जाति मेहरात निवासी ग्राम राजोर तहसील भीम जिला राजसमंद हाल निवासी ग्राम रतनपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0)

वादीगण

बनाम

1 श्री सायर वयस्क पुत्र स्व0 श्री हीरा
2 श्रीमति फेकी वयस्क बेवा स्व0श्री हीरा
दोनो जाति मेहरात निवासियान ग्राम झांक बाडिया नाडी तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज0)
3 राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार,मसूदा(राज0)
4 श्री मान उपपंजीयक महोदय तहसील कार्यालय,मसूदा (राज0)
5 राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर(राज0)

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव धारा136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक–13.10.2016

वादीगण ने इस वाद मे सारांशत निवेदन किया हैं कि ग्राम जीवाणा भू अ0 नि0 रामगढ तह0 बिजयनगर स्थित विवादित आराजी साबीक ख0न0 49 व हाल न0 125 रक्बा 1–02–00 बीघा आबी 1 मे खातेदार अहमदा बाबू वि0 जेता मेहरात खातेदार थें उन्होने बिज एवज प्रतिफल राशि दिनांक 08.06.1967 वादीगण के पिता स्व0 हरि वल्द पदमा जाति मेहरात बेचान कर

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

कब्जा समला भूमि भौतिक रूप से संभला दिया था तब से वे जीवन पर्यन्त इस पर काबिज काश्त रहें।उनकी मृत्यू के बाद से उनके वारिसान वादीगण काबिज काश्त चले आते हें।हीरा वल्द पदमा प्रतिवादी स0 1 व 2 के पिता व पति थे जिनका विवादित भूमि से कोइ संबंध या सरोकार नही था। नाम की समानता के कारण प्रतिवादी स0 1 व 2 ने राजस्व कारकूनो से मिलकर इसमे अपने नाम ना0क0 सख्या 1127 दिनांक 22/12/2004 से लगवा लिए है। जब प्रतिवादी 1 व 2 भली प्रकार जानते है कि विवादित भूमि उनके पिता/पति की नही हैं। इसी गफत इन्द्राजात का लाभ उठाकर प्रतिवादी स0 1 व 2 दीगर व्यक्तियो को हस्तांतरण करने पर आमदा है। अतः वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर वादीगण का नाम विवादित आराजी मे लगवाए जावें।

पक्षकरान ने प्रकरण के दिनांक 13.10.2016 मे मुकर्दर रहते दिनांक 1.09.2016 को उपस्थित होकर मिस तजबी हेतु प्रा0पत्र पेश किया । पत्रावली तलब की गई। पक्षकरान ने राजीनामा पेश किया और निवेदन किया कि प्रतिवादी स0 1 व 2 ने पुनः रजिस्ट्री वादीगण नाम करवा दी है इसलिए वाद आगे नही चलाना चाहते।

अतः वाद वादीगण इसी स्तर पर वादीगण के आवेदन पर इस हिदयत के साथ खारीज किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख0न0 125 रक्बा 1–02–00 बीघा भूमि बाबत उमय पक्ष भविष्य मे पुनः वाद लाने से बर्ड माना जावेगें। यथानुसार वाद पर डिक्री जारी हैं।

निर्णय आज दिंनाक 13.10.2016 को कार्यालय हाजा मे खुले इजलास सुनाया गया।

सुरेश चावला
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
मसूदा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.18 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: